भारत के राजपत्र और
असम, अरूणाचल प्रदेश,
मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल,
तमिलनाडू, त्रिपुरा, एवं पुडुचेरी,
राज्यों के शासकीय
राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं0 576/एग्जिट/2016/एस.डी.आर.–खण्ड–I

दिनांकः 3 नवम्बर, 2016
12 कार्तिक 1938 शक्

अधिसूचना

यतः असम, अरूणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, त्रिपुरा एवं पुडुचेरी संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप–निर्वाचनों की घोषणा आयोग के दिनांक 17 अक्तूबर, 2016 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/58/2016 के द्वारा की जा चुकी है ;

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क के प्रावधानों के अनुसार इस सबंध मे निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा ।

3. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप–धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धाराओं की उप–धारा (2)(ख) के उपबंधो के संबंध में एतत्द्वारा **दिनांक 16.05.2016(सोमवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 05.30 बजे** के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/58/2016 के द्वारा घोषित **असम में 14–लखिमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 20–बैठालंगसो(अ0ज0जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, अरूणाचल प्रदेश में 45–हयूलिआंग(अ0ज0जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 12–शहडोल(अ0ज0जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 179–नेपानगर(अ0ज0जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 1–कूच बिहार(अ0जा), 30–तामलुक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों एवं 263–मान्टेश्वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू में 195–थिरूपारानकुन्दरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, त्रिपुरा में 4–बरजला एवं 25–खोवाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और पुडुचेरी में 17–नेल्लीथोप विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र,** उप–निर्वाचनों

के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलैक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगाा ।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 धंटो की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलें का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा ।

आदेश से,

(के0एफ0विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव